

क्रमांक / बी.डी. / योजना / गैर.तक. / 15-16 / 3428  
प्रति,

भोपाल दिनांक 25/4/2015

कलेक्टर,  
जिला.....(समस्त)(म.प्र.)

विषय:- मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 के संबंध में।

0000

प्रदेश के कृषकों तथैर कृषि आधारित रोजगार प्राप्त कृतकारियों के जीवन यापन हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008" कार्यालयीन पत्र क्रमांक / नियमन / विविध / 3678 दिनांक 27.09.2008 से लागू की गई है। मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 की कंडिका क्रमांक 02 के बिन्दु क्रमांक 09 में संशोधन किया जाता है:-

"(9) कृषि सुरक्षा, पेड़ को छाटाई, कृषि की रखवाली पशु चराई पशु को घास खिलाने, दाना खिलाने, पानी पिलाने, छोड़ने, बांधने आदि दैनिक कार्य करते समय हुई दुर्घटना से श्रुत्यु एवं अंगभंग के लिये।"

अतः मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 में उक्त संशोधन अनुसार कृषकों को योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित करे।

प्रबंध संचालक  
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
भोपाल

क्रमांक / डी. 15-7 / 15-14-3 / 3429

भोपाल दिनांक 25/4/2015

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अपर संचालक(वित्त) मुख्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित है।
3. संयुक्त संचालक / उप संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय- भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर सेवा।

प्रबंध संचालक  
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
भोपाल.